



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254756
CG-DL-E-18062024-254756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]
No. 414]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 19 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"20.	नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र, गांधीनगर पंजीकरण सं. 73/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2024 राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर 9, गांधीनगर, गुजरात	रासायनिक";

(2) महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 37 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“38.	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे पंजीकरण सं. 72/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2024 प्लॉट नंबर सी-401, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, पवने एमआईडीसी, ठाणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक”;

2. दक्षिण क्षेत्र से सम्बंधित ‘ग’ में,

(1) तमिलनाडु के नीचे, क्रम संख्या 28 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“29.	ह्यूबर्ट एनवायरो केयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, गिंडी, चेन्नई पंजीकरण सं. 88/एस/एफएसएसएआई/2024 ए-21, तृतीय चरण, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक”

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./183/2024-25]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई:

1. का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
2. का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
3. का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
4. का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
5. का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
6. का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
7. का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
8. का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
9. का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
10. का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
11. का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;

12. का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 08 मार्च, 2019;
13. का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 08 मई, 2019;
14. का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 06 अगस्त, 2019;
15. का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
16. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
17. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
18. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 04 दिसम्बर, 2020;
19. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
20. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
21. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
22. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 जून, 2021;
23. फा.सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
24. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 02 सितंबर, 2021;
25. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 08 अक्टूबर, 2021;
26. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021;
27. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 जनवरी, 2022;
28. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 24 मार्च, 2022;
29. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 अप्रैल, 2022;
30. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 31 मई, 2022;
31. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 जुलाई, 2022;
32. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2022;

33. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 सितंबर, 2022;
34. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 11 अक्टूबर, 2022;
35. फा.सं. क्यूए-12012/6/2021-आरएआरडी-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2022;
36. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 दिसंबर, 2022;
37. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 28 दिसंबर, 2022;
38. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 मार्च, 2023;
39. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 18 अक्टूबर, 2023;
40. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 07 दिसंबर, 2023; और
41. फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 05 जून, 2024।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under *Gujarat*, after serial number 19, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"20.	Centre of Excellence for Research and Analysis of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Gandhinagar Reg. No. 73/W/FSSAI/2024 National Forensic Sciences University, Sector 9, Gandhinagar, Gujarat	Chemical";

(2) under *Maharashtra*, after serial number 37, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"38.	Eureka Analytical Services Private Limited, Thane	Biological

Reg. No. 72/W/FSSAI/2024 Plot No. C-401, TTC Industrial Area, Pawane MIDC, Thane, Maharashtra	Chemical";
--	------------

2. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under **Tamil Nadu**, after serial number 28, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"29.	Hubert Enviro Care Systems Private Limited, Guindy, Chennai Reg. No. 88/S/FSSAI/2024 A-21, III Phase, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai, Tamil Nadu	Biological Chemical"

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./183/2024-25]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers:

1. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
2. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
3. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
4. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
5. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
6. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017;
7. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017;
8. S.O. number 848(E) dated the 19th February, 2018;
9. S.O. number 1516 (E) dated the 28th March, 2018;
10. S.O. number 2426(E) dated the 13th June, 2018;
11. S.O. number 6207 (E) dated the 12th December, 2018;
12. S.O. number 1377(E) dated the 08th March, 2019;
13. S.O. number 1722 (E) dated the 08th May, 2019;
14. S.O. number 2842 (E) dated the 06th August, 2019;
15. S.O. number 3428 (E) dated the 18th September, 2019;
16. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 13th February, 2020;
17. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 23rd July, 2020;
18. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 04th December, 2020;
19. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 12th January, 2021;
20. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th February, 2021;
21. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 10th March, 2021;
22. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd June, 2021;
23. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated the 25th June, 2021;
24. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 02nd September, 2021;

25. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 08th October, 2021;
26. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 27th October, 2021;
27. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st January, 2022;
28. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 24th March, 2022;
29. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 29th April, 2022;
30. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 31st May, 2022;
31. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated the 7th July, 2022;
32. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 29th July, 2022;
33. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13th September, 2022;
34. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 11th October, 2022;
35. F. No. QA-12012/6/2021-RARD-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18th October, 2022;
36. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 13th December, 2022;
37. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 28th December, 2022;
38. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd March, 2023;
39. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 18th October, 2023;
40. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 7th December, 2023; and
41. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 5th June, 2024.